यौन कर्मियों के लिए न्याय: कहां?

आरती पाई व मीना सरस्वती सेषु

सभी औरतों के लिए न्याय तक पहुंच अनेक सामाजिक अवरोधकों द्वारा सीमित होती है जैसे हक़ों की जानकारी, पुरुष रिश्तेदारों पर निर्भरता, मदद, संसाधनों और मज़बूरी की धमकी तथा महिलाओं की विशेष ज़रूरतों के प्रति न्याय व्यवस्था में प्रतिक्रिया की कमी। भारत में यौन कर्म से जुड़ी महिलाओं के मामले में यौन कर्म से जुड़ा कलंक और 'नैतिक' नज़रिया न्याय तक उनकी पहुंच को और अधिक कमज़ोर बना देता है।

भारत की क़ानून व्यवस्था पर क़ानून के पितृसत्तात्मक स्वभाव का नकारात्मक प्रभाव आज भी हर ओर देखा जा सकता है जिसमें यौनिकता को सीमित निर्माण और यौन कर्मियों के प्रति विशेष पूर्वाग्रह विद्यमान है। न्याय करने वाले अफ़सरों की आंखों पर पड़े नैतिकता के चश्मे के चलते यौन कर्मियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता है और अदालत व कार्यान्वयन संस्थाएं क़ानून लागू करने में उनके साथ अन्याय करती हैं। भेदभाव व नाइंसाफ़ी का यह रवैया स्पष्ट तौर पर तब नज़र आता है जब यौन कर्मियों को हिंसा के पीड़ित के रूप में, 'रेड अथवा बचाव कार्य' के दौरान या किसी अपराध के कारण अदालत में पेश किया जाता है। ऐसे में उन्हें अदालत की सुनवाई की लम्बी अवधि के दौरान अनेक तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है; निजी वकील ऊंची फीस और उनकी ओर से केस लड़ने के लिये यौन अनुग्रह की मांग भी अक्सर करते हैं। यौन कर्मियों के जीवन और परिस्थितियों को लेकर समझ की कमी तथा क़ानून में उनके अनिश्चित दर्जे के कारण अक्सर फ़ैसलों में उन्हें अपराधी या बार-बार जुर्म करने वालों की श्रेणी में रख दिया जाता है।

भारतीय संविधान में मुफ़्त क़ानूनी मदद के प्रावधान के तहत उल्लेखित है कि राज्य गरीब व हाशिए पर रहने वाली महिलाओं के लिए मुफ़्त क़ानूनी सेवाएं मुहैया करेगा और उनकी गुणवत्ता और प्रभाव पर भी ध्यान देगा। परन्तु

एक चकले में रेड पड़ने पर एक गूंगी व बहरी यौन कर्मी महिला को हिरासत में चार महीने रखने के बाद अदालत में पेश किया गया। हम उस समय अदालत में मौजूद थे जब उसने न्यायाधीश से कहा कि वह अपने घर लौटना चाहती है और संरक्षण केन्द्र में नहीं रहना चाहती। हम हैरान रह गए जब भरी अदालत में न्यायाधीश ने कहा, 'यह गटर से आई है और वहीं गटर में वापस लौटना चाहती है। यह किसी की बात नहीं सुनेगी।' इस तरह का अपमानजनक व्यवहार करने वाली अदालतों से हम कौन से न्याय की उम्मीद रख सकते हैं?

– वैम्प क्लैक्टिव-सांगली

इसकी अनुदेश मौजूदगी के बावजूद यौन कर्मियों के लिए न्याय सेवाओं तक पहुंच महज़ एक कल्पना मात्र है।

सर्वोच्च न्यायालय ने भी घोषित किया है कि राज्य व ज़िला क़ानूनी सहायता सेवाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीमों को उपलब्ध कराने में विशेष भूमिका अदा करेगीं। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया है कि क़ानूनी सेवाओं द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत मिलने वाले पीड़ित मुआवज़े के प्रावधान का प्रचार किया जाना चाहिए जिससे किसी भी जुर्म या भेदभाव के पीड़ित व्यक्ति तात्कालिक राहत के लिए क़ानूनी सहायता सेवा अभिकरण से सीधे सम्पर्क कर सकें।

परन्तु अनेक मामलों में यह देखा गया है कि महिलाएं व पारलिंगी यौन कर्मियों के लिए अदालत में अपील करना भी मुश्किल होता है। सन् 2010-2013 के बीच, 22 अदालतों में यौन कर्मियों के ख़िलाफ़ दर्ज यौन कर्म, वेश्यावृति, सार्वजनिक जगहों पर माहौल को खराब करने व ग्राहक तलाशने के मामलों में से केवल आठ अदालत तक पहुंचे थे। इस निम्न संख्या को देखकर यह अंदाज़ा लगाया जा सकता हैं कि पुलिस या अपराध संहिता के तहत दर्ज मामलों में से गिने-चुने ही अदालत तक सुनवाई के लिए पहुंचते हैं, और यौन कर्मियों की न्याय व अदालत तक पहुंच बेहद सीमित है। बहुत हद तक यह इस सच की ओर संकेत करती है कि निचली अदालतों में यौन कर्मियों से जुड़े मामलों में होने वाली गलतियों को सुधारने के मौके भी यौन कर्मियों को नहीं मिलते। इन गलतियों के पीछे के मुख्य कारण हैं यौन कर्मियों के काम की परिस्थितियों की समझ का अभाव, वकीलों के यौन अनुग्रह और यौन कर्मी की पहचान से जुड़े कलंक और पूर्वाग्रह।

यौन कर्मियों को सबसे अधिक पूर्वाग्रह ज़िला स्तरीय अदालत के वकीलों व अफ़सरों के हाथों झेलना पड़ता है। उन्हें अपना 'अवैध धन्धा' बंद करने, ग्राहक आमंत्रित करने के अपराध में चुपचाप जुर्माना भरने और 'मामले को आगे न घसीटने' की सलाह दी जाती है। अनु माकेल मामला इसका सबसे सटीक उदाहरण है जिसमें अस्पताल में अपने दोस्त को देखने गई एक यौन कर्मी को पुलिस ने बेरहमी से पीटा। उस पर आरोप लगाया गया कि वह ग्राहक तलाश रही थी। सरकारी अस्पताल में अपनी चोटों का इलाज करवाने के दौरान उसका गर्भपात हो गया। दूसरे दिन उसे अदालत में ग्राहक को फंसाने के आरोप में पेश किया गया। वहां उसे जुर्माना भरना पड़ा। यह हैरानी की बात नहीं है कि अदालत और क़ानूनी सहायता केन्द्र यौन कर्मियों के लिए अंतिम विकल्प (या विकल्प ही नहीं) होते हैं।

न्याय तक पहुंच में मनाही

जब यौन कर्मी 'रेड और बचाव' अभियानों के बाद जिला क़ानूनी सहायता सेवा अभिकरण के पास मुफ़्त क़ानूनी मदद की मांग लेकर पहुंचे तो अफ़सरों ने उनसे कहा कि "यौन कर्म अवैध धन्धा है।" इसी तरह यौन कर्मियों को क़ानूनी मदद दिलाने के लिए क़ानूनी सहायता केन्द्र की स्थापना के लिए वित्तीय मदद और परामर्श मांगने पर अफ़सरों ने कहा कि इसके लिए राष्ट्रीय और राज्य क़ानूनी सहायता सेवा अभिकरण से इज़ाज़त लेने की ज़रूरत है। जब यौन कर्मियों में राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रस्ताव दाखिल किए तो उन्हें वहां भी मदद देने से इंकार कर दिया गया। हताश होकर यौन कर्मियों ने क़ानूनी सेवा अभिकरण से सम्पर्क करना ही बंद कर दिया।

– वैम्प, सतारा

यौन कर्मियों के लिए राज्य एक हिंसा का स्रोत है— जिससे वे डरती हैं— वह उनके अधिकारों की हिफ़ाजत का ज़रिया नहीं है। आधिकारिक पदों पर आसीन लोग यौन कर्मियों से अन्याय के जल्दी प्रतिकार या हक़ों की बहाली के लिए यौन अनुग्रह की नियमित रूप से मांग

पुलिस हिंसा के अनुभव
(भारत के 3000 यौनकर्मियों के साथ सर्वेक्षण पर आधारित)

निन्दात्मक भाषा	143	50
	1	%
मारपीट, बाल खींचना	101	35
बेल्ट से पिटाई	1	%
धमकी	105	37
	2	%
जबरन रिश्वत	569	20

करते हैं। यौन भाषा और जुमलों के ज़रिए वे यौन कर्मियों को हमेशा दुत्कारते रहते हैं। यौन कर्मी क़ानून लागू करने वाले पक्षों को राज्य की सबसे अधिक दमनकारी संस्था के रूप में देखते हैं। पुलिस भी यौन कर्मियों को अवैध रूप से हिरासत में रखकर उन पर यौन अत्याचार और शोषण जैसे अपराध करती है। गिरफ्तार होने पर उनके तमाम अधिकारों का हनन होता है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संरक्षण व गिरफ्तारी के मार्गदर्शकों का सीधा-सीधा उल्लंघन है। तो फिर यौन कर्मियों के लिए न्याय कहां है?

आरती पाई व मीना सरस्वती सेषु *संग्राम व वैम्प के माध्यम से यौनकर्मियों के अधिकारों पर काम करती हैं।*